संख्या-367/2025/I/1123222/2025/23-11099(099)/389/2025

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 25-10-2025

विषय:- जनपद फतेहपुर में प्राचीन मुगल रोड महर्षि स्कूल कोराई होते हुए फतेहपुर बिन्दकी मार्ग तक (पण्डित गयादीन मार्ग) के चैनेज 0.000 से 10.000 तक (लम्बाई 10.000 किमी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-2217नि0/118-03नि0/25-26, दिनांक 10-09-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के उच्चीकरण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत जनपद फतेहपुर में प्राचीन मुगल रोड महर्षि स्कूल कोराई होते हुए फतेहपुर बिन्दकी मार्ग तक (पण्डित गयादीन मार्ग) के चैनेज 0.000 से 10.000 तक (लम्बाई 10.000 किमी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की 05 वर्षीय अनुरक्षण सहित विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1888.57 लाख (रूपये अट्ठारह करोड़ अट्ठासी लाख सत्तावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रू0 566.57 लाख (रूपये पांच करोड़ छियाछठ लाख सत्तावन हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/ प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि		
				अनु0-58	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	फतेहपुर/ प्रा0ख0	जनपद फतेहपुर में प्राचीन मुगल रोड महर्षि स्कूल कोराई होते हुए फतेहपुर बिन्दकी मार्ग तक (पण्डित गयादीन मार्ग) के चैनेज 0.000 से 10.000 तक (लम्बाई 10.000 किमी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1888.57	446.40	120.17	566.57

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाय। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा)) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित के शासनादेश सं0-ए-2-1606 /दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री दवारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक "1054 सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियाँ-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा की जायेगी।

(5) परियोजनान्तर्गत सुनियोजित विकास, सुरक्षा, सौन्दर्यीकरण अथवा किन्हीं अन्य विशिष्ट कारणों से पूर्व में कराये गये निर्माण का ध्वस्तीकरण आवश्यक एवं अपरिहार्य होने पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही लोक निर्माण अनुभाग-5, उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्या-158/2023/993/23-5-23-50(40)ईजी/08, दिनांक 12-09-2023 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(6) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानकों के अनुरूप कराया जाय।

(7) परियोजना निर्माण कार्यो हेतु जो भूमि प्रयुक्त की जायेगी, उसका पूर्णतः सरकारी/लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में होना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार से किसानों की निजी कृषि भूमि का उपयोग उनकी सहमति प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति भूमि उपयोग के संबंध में किसानों की सहमति प्राप्त करने के बाद ही निर्गत की जायेगी। भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिशासी अभियन्ता की होगी। अगर भविष्य में भूमि संबंधी कोई देयता सृजित होती है तो उसके लिए संबंधित अधिशासी अभियंता को जिम्मेदार मानते हुए उनसे भू राजस्व की भाँति रिकवरी भी सुनिश्चित की जायेगी।

(9) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता की दशा में भूमि अधिग्रहण की अनुमन्यता व स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा संगत व प्रभावी नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित की जायेगी।

(10) परियोजना से संबंधित कार्य हेतु निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण करती है, यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही स्वीकृति निर्गत की जायें।

(11) परियोजना को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से बैठक में निर्धारित समयान्तर्गत (12 माह) पूर्ण करना व भविष्य में परियोजनाओं को पुनरीक्षण न किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि नियमानुसार भुगतान किया जायेगी।

(13) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(14) परियोजना के संबंध में मुख्य अभियंता एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा अवगत कराये गये सभी बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) यूटिलिटी शिफ्टिंग होने की स्थिति में कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण व अन्य संबंधित कार्यो में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग की पुनः आवश्यकता न हो। यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्यो के क्रियान्वयन से पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रस्तावित कार्यो का verification & Revalidation कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यूटिलिटी शिफ्टिंग संबंधी कार्यो हेतु भविष्य में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।

(16) प्रायोजनान्तर्गत विद्युत विभाग से संबंधित यूटिलिटी शिफ्टिंग निर्माण का कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत विभाग से सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाये तथा विद्युत विभाग की यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु एन0एच0ए0आई0 के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(17) प्रायोजनान्तर्गत विद्युत पोल से संबंधित यूटिलिटी शिफ्टिंग के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिस प्रकार एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्मित मार्ग परियोजनाओं में किया जाता है, उसी प्रकार मार्ग पर स्थित विद्युत पोल (Electric Pole) को मार्ग के अंतिम छोर/किनारें पर स्थापित किया जाये, जिससे भविष्य में उक्त मार्ग के चौड़ीकरण आदि की प्रक्रिया में कोई आधा उत्पन्न न हो। यदि भविष्य में उक्त मार्ग के चौड़ीकरण आदि की प्रक्रिया में विद्युत पोलों (Electric Poles) की शिफ्टिंग की दोबारा आवश्यकता पड़ती है तो उनकी लागत की वसूली/रिकवरी संबंधित अधिशासी अभियंता के वेतन/पेंशन से अवश्य की जायेगी।

(18) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।।

(19) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा, जिसका उत्तरदायितव कार्यदायी संस्था का होगा।

(20) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं आदि को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(21) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। अतः परियोजना पर पृथक-पृथक रूप से सक्षम स्तर से तकनिकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(22) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है। उक्त विषयों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्यो आदि का प्राविधान करना, मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई/क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन, अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना, आर0ई0वाल एबेटमेन्ट इत्यादि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि विभागीय व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(23) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(24) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति/भूमि अर्जन की कार्यवाही सी0ए0एल0ए0 (Competent Authority for Acquisition) के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(25) विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णता अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(26) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा भविष्य में परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियंता(मु0-1), लो0नि0वि0 व संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का होगा ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं आदि के वेतन से भूराजस्व की भाँति की जायेगी।

(27) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(28) परियोजनान्तर्गत रोड सेफ्टी की लागत अत्यधिक रखी जा रही है जबकि इसके पूर्व ही विभागाध्यक्ष को रोड सेफ्टी लागत हेतु एक समिति गठित कर मानक निर्धारित किये जाने के लिये निर्देशित किया गया था। इस संबंध में मुख्यालय द्वारा अभी तक कोई मानक निर्धारण न किये जाने वे अन्य कारणों को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रोड सेफ्टी की लागत सामान्य रूप से रू0 2.00 लाख प्रति किमी0 के अनुसार निर्धारित किये जाने व शहरी क्षेत्र के अन्दर सड़क निर्माण व कतिपय विशेष विशिष्टियां होने पर रोड सेफ्टी की लागत मे यथोचित वृद्धि किये जाने का अभिमत स्थिर किया जाय।

(29) समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित परियोजना के संबंध में प्रभावी समस्त संगत विभागीय नियमों/मानकों/शासनादेशों इत्यादि का पूर्णतः अनुपालन व गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा प्रस्तुत परियोजनाओं से संबंधित संगत सूचनाएं विश्वकर्मा व सृष्टि पोर्टल पर अपडेट किये जाने अथवा पूर्व में ही स्वीकृत है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, मुख्य अभियंता(मु0-1) एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का होगा।

(30) कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व यथावश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभागों/संस्थाओं से प्राप्त कर लिया जाये।

(31) प्रायोजनान्तर्गत बाधक 01 मी0 व्यास (Diameter) से कम चौड़ाई के वृक्षों को अन्यत्र प्रत्यारोपित (Transplant) किया जायेगा। इसके लिए वन विभाग को कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

(32) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(33) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई,2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यो की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(34) समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि परियोजना का भविष्य में मरम्मत, विशेष मरम्मत व पुनरीक्षण संबंधी प्रस्ताव शासन के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित नहीं किये जायेंगे और यह सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, मुख्य अभियंता(मु0-1), एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का होगा।

(35) प्रायोजनान्तर्गत समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इन परियोजनाओं के निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 का होगा।

(36) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढ़ोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजनाओं के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा एवं माह कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(37) प्रश्नगत कार्य इस शर्त के साथ अनुमोदित किया जाता है कि कार्य की लागत में बढ़ोत्तरी के लिए पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा। पुनरीक्षण अपरिहार्य होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(38) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियंता(मु0-1) एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का होगा। यदि

किन्हीं शासनादेशों एवं नियमों से विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसके लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

(39) प्रश्नगत परियोजना को सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर पंजीकृत कर दिया गया है, जिसका पंजीकरण संख्या-202500003101816 है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रूपये 4,46,40,000(रूपये चार करोड़ छियालीस लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या0 58 लेखा शीर्षक 5054033371328 प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के उच्चीकरण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (2) रूपये 1,20,17,000(रूपये एक करोड़ बीस लाख सत्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054037890500 राज्य प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-369-X-2025-26, दिनांक 13-10-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन|
12- राज्य योजना आयोग- 1/2, उ0प्र0 शासन ।
13- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन ।
15- नोडल अधिकारी (ऑन लाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन|
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।